मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
बिहार सरकार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-365
10/08/2025

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1247.34 करोड़ रूपये की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किया हस्तांतरित

पटना, 10 अगस्त 2025 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1247.34 करोड़ रुपये की राशि माउस क्लिक कर डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1100 रूपये की पेंशन राशि उनके खाते में अंतरित की गई है।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयषी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जुलाई माह में दी जानेवाली पेंशन की राशि एवं लाभार्थियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योग्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। पेंशन को और सुलभ बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग ने एक टॉल फ्री नम्बर 18003456262 जारी किया है, जिस पर सोमवार से शनिवार (दिन में 10 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न) तक पेंशन संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है और शिकायत दर्ज की जा सकती है। आज के इस अवसर पर बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें जिले के जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, लाभार्थीगण जुड़े हुये हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 11 सौ रुपये की दर से जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है। समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुँचने से उन्हें सहूलियत होगी। कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं इसका विशेष ख्याल रखें। जो भी सामाजिक पेंशनधारी छूटे हुये है उनको भी इसका शीघ्र लाभ दिलायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। इस निर्णय के आलोक में 11 जुलाई, 2025 को मेरे द्वारा कुल 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को 11 सौ रुपये प्रति लाभुक की दर से जून माह की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी गयी। इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 27 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विगत एक माह में लगभग 1 लाख नये लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गये हैं। इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 11 सौ रुपये की दर से पेंशन की राशि

उनके खाते में भेजी जा रही है। इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 47 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएँ चलाई है। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि राज्य में 06 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 03 केन्द्र सरकार द्वारा तथा 03 पेंशन योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनाएँ– इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना हैं। जबकि राज्य पेंशन योजनाएँ अंतर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 35,62,501 है, जिनके खाते में आज कुल 391 करोड़ 98 लाख 61 हजार 300 रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 6,35,553 है, जिनके खाते में आज 70 करोड़ 17 लाख 69 हजार 200 रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों की संख्या 1,10,744 है, जिनके खाते में आज 12 करोड़ 18 लाख 67 हजार 600 रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 8,74,433 है, जिनके खाते में आज 97 करोड़ 16 लाख 25 हजार 400 रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 9,72,057 है, जिनके खाते में आज 107 करोड़ 58 लाख 34 हजार रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को राज्य सरकार द्वारा 1100 रूपये प्रति माह पेंशन की राशि दी जा रही है। राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 से लागू किया गया है। पेंशनधारियों की संख्या 50,63,557 है, जिनके खाते में आज 568 करोड़ 24 लाख 66 हजार 300 रूपये की राशि अंतरित की गयी है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयषी ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी, मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, समाज कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती बंदना प्रेयषी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ0 गोपाल सिंह, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक श्री अमित कुमार पांडेय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय के निदेशक श्री योगेश सागर सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं लाभार्थीगण कार्यक्रम से जुड़े थे।

******